न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,टोंक

(रामरतन सौकरिया, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 21/2015

प्रविष्टि दिनांक 26.02.2015

उर्मिला पुत्री रामलाल पत्नि सुवालाल जाति जाट निवासी ढाणी कुशालपुरा, पंचायत राजमहल, तहसील देवली, जिला टोंक (राज०)

.....अपीलाण्ट

बनाम

1. घीसालाल पुत्र हरनाथ जाति जाट निवासी ढाणी कुशालपुरा, पंचायत राजमहल, तहसील देवली, जिला टोंक (राज०)

.....मृतक

2. गट्टू बेवा हरनाथ जाति जाट निवासी काणी कुशालपुरा, पंचायत राजमहल, तहसील देवली, जिला टोंक

.....मृतक

1/1 कैलाशी पुत्री हरनाथ पत्नि रतनलाल जाट जाति जाट हाल निवासी ग्राम काशीर, तहसील देवली, जिला टोंक (राज०)

1/2 काली पुत्री हरनाथ पत्नि रामचन्द्र जाट जाति जाट हाल निवासी ग्राम भडला, तहसील देवली, जिला टोंक (राज०)

3. तहसीलदार देवली

.....रेस्पोडेण्टस

अपील विरूद्ध नामान्तकरण नं0–289, दिनांक 05.06.1993 तहसीलदार देवली

उपस्थिति : (1) श्री महेश भारद्वाज, अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री अशोक कासलीवाल, अभिभाषक रेस्पोडेण्ट सं. 1/1
(3) श्री महावीर तोगडा, अभिभाषक रेस्पोडेण्ट सं. 1/2

निर्णय

दिनांक: 25/5/25

संक्षेप में अपील का सार इस प्रकार है कि आराजीयात खसरा नम्बर 3829 रकबा 3.41 हैक्टर व खसरा नम्बर 4140 रकबा 0.05 हैक्टर वाके ग्राम राजमहल तहसील देवली जिला टोंक में स्थित है। उक्त आराजीयात के 1/2 हिस्से का तहसीलदार देवली द्वारा नामान्तरकरण संख्या 289 दिनाक 05.06.1993 को तस्दीक कर दिया। उक्त नामान्तरकरण को विधि–विधान एवं तथ्यों के प्रतिकूल बताते हुए नामान्तरकरण को निरस्त करवाने हेतु यह अपील प्रस्तुत की है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्टस जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की नामान्तरकरण की पत्रावली तलब की गई। अभिभाषक अपीलान्ट एवं अभिभाषक रेस्पोडेण्टस की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 3829 रकबा 3.41 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4140 रकबा 0.05 है0, गैर मुमकिन चाह, ग्राम राजमहल तहसील देवली में स्थित है। उक्त भूमि के 1/2 हिस्से की खातेदारी अपीलान्ट के पिता रामलाल पुत्र रूग्गा निवासी कुशालपुरा तहसील देवली के नाम खातेदारी मे दर्ज थी तथा 1/2 हिस्सा रेस्पोडेन्ट न० 1 के पिता हरनाथ के नाम दर्ज थी। अपीलान्ट का पिता अत्यन्त वृद्ध, बीमार, अनपढ़, ग्रामीण व्यक्ति था तथा उसका मानसिक सन्तुलन खराब था। रेस्पोडेन्ट न० 1 के पिता ने उसकी उक्त हालत का नाजायज फायदा उठाकर उसकी भूमियों को हडपने के उद्देश्य से उसकी इच्छा के विपरीत जाकर दिनांक 04.06.1993 को एक बनावटी रिलीज डीड का दस्तावेज तैयार करवाकर चुपचाप राजस्व कर्मचारियो से मिली भगत करके बिना किसी जांच व बिना भौतिक कब्जे के अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना चुपचाप अपीलाधीन नामान्तरकरण स० 289 दिनांक 05.06.1993 को आनन–फानन में स्वीकार करवा लिया।

अपीलान्ट रामलाल की एक मात्र पुत्री है तथा यह भूमियां पैतृक होने से अपीलान्ट का भी जन्मसिद्ध अधिकार तथा हित–निहीत है, अपीलान्ट भी उक्त भूमियो की सहकृषक है, रामलाल सम्पूर्ण 1/2 का मालिक व काबिज नही था इस कारण उसको सम्पूर्ण 1/2 का रिलीज डीड करने या अन्तरण करने का विधिक अधिकार प्राप्त नही था। धारा 63 राज टिनेन्सी एक्ट के प्रावधानो के अन्तर्गत रिलीज डीड के आधार पर कृषि भूमि के खातेदारी अधिकारों का अन्तरण नही होता है।

अपीलाधीन नामान्तरकरण तस्दीक करने से पहले अपीलान्ट को सुना नहीं गया तथा इसको सूचना का नोटिस भी नही दिया गया, नामान्तरकरण हेतु गाँव मे जाकर किसी स्वतन्त्र गवाह के बयान भी लेखबद्ध भी नही किये, तथा दिनाक 04.06.1993 को दस्तावेज तैयार करवाकर दिनांक 05.06.1993 को अर्थात एक ही दिन में सारी कार्यवाही सम्पादित करवा ली, उसी दिन पटवारी ने नामान्तरकरण भर दिया, उसी दिन गिरदावर/आई.एल. आर. द्वारा रिपोर्ट कर दी तथा उसी दिन तहसीलदार ने नामान्तरकरण स्वीकार कर लिया। इस प्रकार आनन–फानन में सारी कार्यवाही निपटा ली, उक्त नामान्तरकरण प्रारम्भतः ही संन्देहास्पद है। अपीलान्ट अपने पिता के द्वारा छोडी हुई उसके हिस्से की भूमि पर लगातार काबिज चली आ रही है और काश्त कर रही है। वादग्रस्त भूमि पैतृक है जिसमें पुत्री का भी जन्मसिद्ध अधिकार है तथा पुत्री भी एक सहकृषक की हैसियत रखती है, तथाकथित हकत्याग पत्र के दिन वादग्रस्त भूमि में से 1/4 हिस्सा अपीलान्ट में निहीत था जो बाद मे पिता के मरने के बाद सम्पूर्ण 1/2 हिस्सा निहीत हो चुका है तथा 1/2 पर अपीलान्ट सहकृषक की हैसियत से काबिज है, रामलाल को उक्त रिलीज डीड करने का कानूनी अधिकार नही था।

तथाकथित हक त्यागपत्र के निष्पादन एवं पंजीयन तथा उसके आधार पर तस्दीक कराये गये नामान्तरकरण की अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं थी, सारी कार्यवाही इसको बिना सुने चुपचाप बिना किसी सूचना/नोटिस के सम्पादित की गयी है। उक्त नामान्तकरण की जानकारी होते ही अपीलान्ट द्वारा अपील पेश कर दी गई है तथा उक्त सम्बन्ध मे जो विलम्ब कारित हुआ है वह न्यायहित मे माफ किये जाने तथा अपील

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला कलक्टर
टोंक

अन्दर मियाद शुमार किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर नामान्तकरण संख्या 289 दिनांक 05.06.1993 तहसीलदार देवली निरस्त किया जावें।

अभिभाषक रेस्पोडेण्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन नामान्तकरण रिलीज डीडकर्ता रामलाल की सहमति व मौजूदगी में भरा जाकर स्वीकार किया गया था, जिसकी जानकारी दिनांक 05.06.1993 को ही रामलाल को तथा स्वयं अपीलांट उर्मिला को थी। रिलीजडीडकर्ता रामलाल पूर्ण रूप से स्वस्थ्य चित्त व्यक्ति था, उसने उक्त पंजिकृत रिलीजडीड दिनाक 04.06.1993 को निष्पादित करने से पूर्व रेस्पो० काली व कैलाशी के भाई घीसा लाल के हक में अपने खातेदारी की जमीन का विक्रय पत्र दिनाक 20.07.1990 को पंजिकृत करवाया था और इस तरह उसे अपने द्वारा किये गये सारे कृत्य का ध्यान था । उक्त रिलीज डीड दिनाक 04.06.1993 को पंजिकृत होने के बाद दिनाक 05.06.1993 को अपीलाधीन नामान्तकरण स्वीकार हुआ था जिसकी जानकारी उसी दिन रामलाल व अपीलांट को पूर्ण रूप से थी तथा स्वंय रामलाल दिनाक 25.02.2008 तक जीवित रहा है, जिसने अपने जीते जी उक्त नामान्तकरण या रिलीज डीड को चुनोति नहीं दी है तथा उसकी मृत्यु के 7 वर्ष से अधिक समय के बाद देरी का बिना कोई समुचित कारण बताये यह अपील पेश की गई है, जो मियाद बाहर होने के कारण सिर्फ इसी आधार पर खारिज किये जाने योग्य है।

अपीलाधीन भूमि पर रिलीज डीड पंजिकृत कराने की दिनांक 04.06.1993 से पूर्व ही हरनाथ का कब्जा काश्त था, जिसका हवाला स्वंय रामलाल ने रिलीज डीड में दे रखा है और हरनाथ की मृत्यु के बाद घीसालाल व अब रेस्पो काली व कैलाशी के कब्जे काश्त में उक्त भूमि चली आ रही है।

अपीलांट्स व रेस्पोण्डेंट्स के पूर्वज रूग्घा के हरनाथ व रामलाल दो लडके थे, आराजी खसरा नम्बर 3829 रकबा 3.41 हेक्टेयर एंव खसरानम्बर 4140 रकबा 0.05 हेक्टेयर वाके ग्राम राजमहल तहसील देवली जिला टोंक हरनाथ व रामलाल की स्वंय की बनाई हुई थी, उक्त सम्पूर्ण भूमि को हरनाथ ही बोता जोता व काश्त करता था। रामलाल के कोई पुत्र नहीं होने के कारण तथा उक्त भूमि हरनाथ के ही कब्जे में होने के कारण गवाहान की मौजूदगी में स्वंय रामलाल ने उप पंजियन कार्यालय में उपस्थित होकर दिनाक 04.06.1993 को उक्त भूमि का रिलीज डीड हरनाथ के हक में पंजियन कराया था और दूसरे दिन स्वंय ने मौजूद रह कर उक्त रिलीज डीड के आधार पर भूमि का अपीलाधीन नामान्तकरण हरनाथ के हक में स्वीकृत करवाया था। अपीलांट उर्मिला स्वंय उक्त कार्यवाही के दौरान मौजूद थी। चूंकि अपीलांट उर्मिला की शादी पूर्व में ग्राम स्यार तहसील सरवाड जिला अजमेर में हुई थी और उसके ससुराल पक्ष के परिजन रामदेव पुत्र रूघ जी जाट निवासी स्यार तहसील सरवाड जिला अजमेर स्वंय उक्त रिलीज डीड का गवाह था। इस कारण उसी दिन अपीलांट को इस रिलीज डीड व नामान्तकरण की जानकारी थी ।

उक्त नामान्तकरण पंजिकृत रिलीज डीड दिनाक 04.06.1993 की पालना में खोला गया है, और उक्त पंजिकृत रिलीज डीड को निरस्त करने का वाद रामलाल या अपीलांट ने आज तक नहीं किया है, और यह रिलीज डीड इस समय भी अस्तित्व में है जिसे सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा ही निरस्त किया जा सकता है। बिना उक्त रिलीज डीड को निरस्त करे उक्त अपीलाधीन नामानतकरण को निरस्त नहीं किया जा सकता है। अपीलाधीन नामान्तकरण में वर्णित भूमि पर रिलीज डीड की दिनाक से अब तक रेस्पोण्डेंट

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

के कब्जे में चली आ रही होने तथा अपीलांट का कोई कब्जा नहीं होने के कारण अपील निरस्तनीय है।

उक्त रिलीज डीड दिंनाक 04.06.1993 को पंजिकृत होने के बाद दिंनाक 05.06.1993 को अपीलाधीन नामान्तकरण स्वीकार हुआ था जिसकी जानकारी उसी दिन रामलाल व अपीलांट को पूर्ण रूप से थी तथा स्वंय रामलाल दिंनाक 25.02.2008 तक जीवित रहा है, जिसने अपने जीते जी उक्त नामान्तकरण या रिलीज डीड को चुनोति नहीं दी है तथा उसकी मृत्यु के 7 वर्ष से अधिक समय के बाद देरी का बिना कोई समुचित कारण बताये यह अपील पेश की गई है, जो मियाद बाहर होने के कारण सिर्फ इसी आधार पर खारिज किये जाने योग्य है।

अपीलांट की शादी पहले ग्राम स्यार तहसील सरवाड जिला अजमेर में हुई थी, जहां रामलाल भी उसके साथ उसके ससुराल में ही निवास करता था उसके बाद अपीलांट ने सुवालाल जाट निवासी देवली गांव के यहां नाता विवाह कर लिया और रामलाल भी देवली गांव में अपीलांट के साथ रहता था और देवली गांव में ही रामलाल की मृत्यु हुई थी । जिसकी पुष्टि उसके मृत्यु प्रमाणपत्र में मृत्यु के स्थान से होती है। इस तरह न तो रामलाल और न ही अपीलांट ग्राम कुशालपुरा पंचायत राजमहल जहां यह जमीन स्थित है, वहां पर रहते थे और न ही आज रहते हैं और न ही इस जमीन पर इनका कब्जा है। उक्त जमीन पूर्व में ग्राम राजमहल की तन में थी और कुशालपुरा अब नया राजस्व गांव बन जाने के कारण यह भूमि ग्राम कुशालपुरा में स्थित है जिस पर अब रेस्पो० का ही कब्जा होने के कारण यह अपील खारिज होने योग्य है। अतः निवेदन है कि अपीलांट की अपील रेस्पोण्डेंट्स के खिलाफ मय हर्जा खर्चा सति खारिज फरमाया जावे ।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस को सुना एवं मनन पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, नामान्तकरण पत्रावली का आद्योपान्त अध्ययन किया। पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता हैं कि आराजी खसरा नम्बर 3829 रकबा 3.41 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4140 रकबा 0.05 है0, गैर मुमकिन चाह, ग्राम राजमहल तहसील देवली में हिस्सा 1/2 की खातेदारी अपीलान्ट के पिता रामलाल पुत्र रूग्गा निवासी कुशालपुरा तहसील देवली के नाम खातेदारी मे दर्ज थी, तथा 1/2 हिस्सा रेस्पोडेन्ट न० 1 के पिता हरनाथ के नाम दर्ज थी। अपीलान्ट ने यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की है कि उसके पिता का मानसिक सन्तुलन ठीक नहीं होने से रेस्पाडेण्ट के पिता द्वारा रिलीज डीड तैयार करवाकर नामान्तकरण तस्दीक करवाया गया है परन्तु अपीलान्ट द्वारा अपने पिता का मानसिक सन्तुलन सही नहीं होने के संबंध में कोई सबूत/साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किए गए है। स्वंय रामलाल दिंनाक 25.02.2008 तक जीवित रहा है, जिसने अपने जीते जी उक्त नामान्तकरण या रिलीज डीड को चुनोति नहीं दी है तथा उसकी मृत्यु के 7 वर्ष से अधिक समय के अपील पेश की गई है। अपील पेश करने में हुई देरी के लिए प्रार्थना पत्र धारा 5 लिमिटेशन एक्ट में कोई ठोस कारण नहीं बताए गए है। रामलाल द्वारा गवाहान की मौजूदगी में उप पंजियन कार्यालय में उपस्थित होकर दिंनाक 04.06.1993 को उक्त भूमि का रिलीज डीड हरनाथ के हक में पंजियन कराया था और दूसरे दिन रामलाल ने स्वयं मौजूद रह कर उक्त रिलीज डीड के आधार पर भूमि का अपीलाधीन नामान्तकरण हरनाथ के हक में स्वीकृत करवाया था। अपीलांट उर्मिला की शादी पूर्व में ग्राम स्यार तहसील सरवाड जिला अजमेर में हुई थी और उसके ससुराल पक्ष

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

के परिजन रामदेव पुत्र रूघ जी जाट निवासी स्यार तहसील सरवाड जिला अजमेर स्वंय उक्त रिलीज डीड का गवाह था। इस कारण उसी दिन अपीलांट को इस रिलीज डीड व नामान्तकरण की जानकारी थी। उक्त नामान्तकरण पंजिकृत रिलीज डीड दिंनाक 04.06.1993 की पालना में खोला गया है, और उक्त पंजिकृत रिलीज डीड को निरस्त करने का वाद रामलाल या अपीलांट ने आज तक नहीं किया है, और यह रिलीज डीड इस समय भी अस्तित्व में है जिसे सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा ही निरस्त किया जा सकता है। बिना उक्त रिलीज डीड को निरस्त करे उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण को निरस्त नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार तहसीलदार देवली द्वारा तस्दीक किया गया नामान्तरकरण संख्या 289 दिंनाक 05.06.1993 विधिविरूद्ध प्रतीत नहीं होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है एवं तहसीलदार तहसीलदार देवली द्वारा तस्दीक किया गया नामान्तरकरण संख्या 289 दिंनाक 05.06.1993 वाके ग्राम राजमहल तहसील देवली यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25/4/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामरतन सोकरिया)
अति.जिला कलेक्टर,
टोंक